



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2341]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 4, 2013/आश्विन 12, 1935

No. 2341]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2013/ASVINA 12, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2013

विषय : “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012” का कार्यान्वयन ।

का.आ. 3023(अ).—जबकि, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012” (जिसे इसके बाद “आदेश” कहा जाएगा) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दिनांक 20.03.2013 की अधिसूचना संख्या 822(अ) जारी की, जिसमें आदेश के लागू होने की तारीख बढ़ाई गई है और सशर्त विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है और जबकि आदेश 3 जुलाई, 2013 से लागू किया गया है और जबकि आदेश के अनुपालन से संबंधित कुछ मुद्दे सामने आए हैं और जबकि इन मुद्दों पर स्टेकहोल्डरों से चर्चा कर ली गई है और जबकि आदेश के सुचारु कार्यान्वयन के लिए उद्योग को संसाधन उपलब्ध कराने और इन मुद्दों को हल करने के लिए आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिसूचना जारी की जाती है ।

1. आदेश के पूर्ण अनुपालन के लिए उन विनिर्माण इकाइयों की समय-सीमा 3 जनवरी, 2014 तक बढ़ाने की अनुमति है जो परीक्षण के लिए अपने उत्पाद बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं (इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें आज की तारीख पर, आखिरी तारीख पर या 3 जनवरी, 2014 से पहले किस तारीख को भेजा गया है) में भेजते हैं । नए उत्पाद अथवा मॉडल जब लांच किए जाते हैं, का भी परीक्षण किया जाता है और उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है और उपर्युक्त सीमा विस्तार की स्वीकृति के लिए उन्हें अलग नहीं माना जाता है ।

2. उन इकाइयों को 3 अक्टूबर, 2013 के बाद समय सीमा बढ़ाने के लिए कोई समय-सीमा विस्तार फीस नहीं देनी पड़ेगी जिन्होंने 3 अक्टूबर, 2013 से पहले बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए अपने नमूने प्रस्तुत कर दिए हैं और उन्हें 3 अक्टूबर, 2013 से पहले इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय-सीमा में विस्तार की स्वीकृति दे दी गई है तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए इस विस्तार की सीमा 3 जनवरी, 2014 तक मान्य होगी ।
3. 3 अक्टूबर, 2013 के बाद बीआईएस द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए उत्पादों पर “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश” के लागू होने की तारीख से प्रति माह की दर से, ऐसे उत्पादों को परीक्षण के लिए जमा कराने की तारीख तक दिनांक 20 मार्च, 2013 की अधिसूचना के अनुबंध क में नियत दरों पर शुल्क वसूल किया जाएगा । तथापि, दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 के बाद उत्पाद को परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए बिना उच्चतर समय-सीमा विस्तार फीस पर विनिर्मित करने/आयात करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं रहेगा ।
4. परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए माल के संबंध में समय-सीमा बढ़ाने के लिए समान मानकों वाले किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय परीक्षण गृह द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों से पहले विनिर्माता द्वारा स्व-घोषणापत्र संलग्न किया जाए । दिनांक 20 मार्च, 2013 की अधिसूचना की समय-सीमा बढ़ाने संबंधी प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रावधान लागू होंगे ।
5. ऐसे पंजीकृत माल के लिए जिस पर विनिर्माण यूनिटों द्वारा स्व-घोषणापत्र और विशिष्ट पंजीकरण संख्या अंकित नहीं की गई है, वहां 3 जनवरी, 2014 तक सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क द्वारा ऐसे परेषित माल की निकासी के उद्देश्य से बीआईएस द्वारा जारी किया गया पंजीकरण पत्र पर्याप्त होगा । तथापि, ऐसे माल को बाजारों में उतारने से पहले विनिर्माण यूनिटों के विनिर्माताओं/स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक मार्किंग की जाएगी ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

[डीईआईटीवाई फा. सं. 37 (1)/2013-आईपीएचडब्ल्यू]

अरुण सचदेव, वैज्ञानिक “जी”

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2013

Subject : Implementation of “Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012”.

S.O. 3023(E).—Whereas Government of India, Department of Electronics and IT (DeitY) has issued the “Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012” (hereinafter called the “Order”), and whereas DeitY further issued a Notification No. S.O. 822(E), dated 20.03.2013 extending the date of coming into effect of the Order and enabling provision for grant of conditional extension and whereas the Order has come into effect on 3rd July 2013, and whereas certain issues have arisen with regard to compliance to the Order, and whereas these issues have been discussed with all stakeholders and whereas to address these issues, and to sustain the resources to facilitate the industry for smooth implementation of the Order, the following notification is issued in continuation of the Order.

1. Manufacturing Units which submit the products for testing to BIS recognised labs (irrespective of when they have been submitted, till date, now or anytime before January 3, 2014) are allowed an

extension upto January 3, 2014, for full compliance with the Order. New product models when developed or launched also have to go through the testing and registration process and would not be differentiated for grant of extension.

2. No extension fee shall apply for extension beyond October 3, 2013 to those who have submitted their samples for testing to BIS recognized labs and are granted extension by DeitY before October 3, 2013 and such extensions granted by DeitY stand extended upto January 3, 2014.
3. Products submitted for testing to BIS recognized labs after October 3, 2013, be levied a fee on a per month basis from the date of coming into effect of "Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012", at the rates specified in Annexure A to notification dated 20th March, 2013, till the date of submission of such products for testing. However the provision to manufacture/import at higher extension fee, without submitting the products for testing would not be available after October 03, 2013.
4. For granting extension to goods that are submitted for testing, the self-declaration by manufacturer must be accompanied as before, by test reports issued by any National/International Test House to equivalent standards. Other provisions, concerning process of facilitating extensions, of Notification dated 20th March, 2013 would apply.
5. For registered goods where statement of self-declaration alongwith unique Registration Number has not been affixed by the manufacturing units, Registration Letter issued by BIS shall suffice for the purpose of clearance of such consignments by Customs/Excise till 3 January, 2014. However the needed markings shall be placed by the manufacturer/local representatives of the manufacturing units before placing such goods into markets.

This Notification will come into immediate effect.

[DeitY F. No. 37(1)/2013-IPHW]

ARUN SACHDEVA, Scientist 'G'